राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3428/2025

मुरारी लाल मौर्य

–अपीलार्थी

बनाम

सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.07.2025
आदेश की दिनांक : 29.07.2025
अपीलार्थी की ओर से : श्री रामप्रताप सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार पंचायती राज विभाग द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था और अपीलकर्ता ने शिक्षक ग्रेड III के पद के लिए अपेक्षित योग्यता रखते हुए आवेदन किया था। विज्ञापन के अनुसरण में, अपीलार्थी को दिनांक 10.11.2017 के आदेश द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बलाइयों की ढाणी, ककराना छोटा, कुहाडा, विराट नगर, जयपुर, जिला जयपुर में अध्यापक ग्रेड III के पद पर नियुक्त किया गया है तथा नियुक्ति आदेश की अनुपालना में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.11.2017 के अनुसरण में अपीलार्थी ने पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा नियुक्ति के बाद से ही वह पूर्ण संतुष्टि के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। विवादित प्रश्नों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमे के कारण अपीलार्थी को नियुक्ति बहुत विलम्ब से दी गई। अपीलार्थी की शिकायत यह है कि संशोधित परिणाम में उसकी उच्च मेरिट होने के बावजूद उसे बाद में नियुक्ति दी गई और उससे कम मेरिट वाले कनिष्ठों को अपीलार्थी से पहले नियुक्ति दे दी गई, अतः अपीलार्थी को भी अन्य कनिष्ठ अभ्यर्थियों की तरह काल्पनिक लाभ, वरिष्ठता और नियमित वेतन दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्यर्थी विभाग उसे ऐसा नहीं दे रहे हैं। अपीलार्थी का चयन प्रथम सूची में हुआ था, परन्तु आर.टी.ई.टी. में कम अंक और विवादित प्रश्नों के कारण अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति तिथि से नियुक्ति नहीं दी गई है। इसी प्रकार का विवाद एस.बी. सिविल रिट अपील संख्या 3247/2015 हेमलता श्रीमाली बनाम राजस्थान राज्य, के मामले में भी उत्पन्न हुआ था, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 01.04.2015 को निर्णय दिया गया था। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 13.07.2025 को ईमेल के माध्यम से एक कानूनी नोटिस भी भेजा है ताकि उसी तिथि से समान

उम्मीदवारों को काल्पनिक लाभ और अन्य सेवा लाभ प्रदान किए जा सकें। (अनुलग्नक–3)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को नियुक्ति की तिथि से शिक्षक ग्रेड III लेवल I के पद पर उम्मीदवारों को दिए गए काल्पनिक लाभ अर्थात वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और अन्य लाभ सभी परिणामी लाभों के साथ उसी चयन प्रक्रिया में प्रदान किए जावे एवं प्रत्यर्थीगण को एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3247/2015 के मामले में हेमलता श्रीमाली बनाम राजस्थान राज्य के मामले में दिनांक 01.04.2015 को दिए गए निर्णय के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य